

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

--:अधिघोषणा :-

संख्या.....-1322/रा.भू-अर्जन

कटिहार, दिनांक-21-05-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा खुरियाल थाना नं 573 थाना कदवा परगना अकबर पुर जिला कटिहार के अन्तर्गत मौजा खुरियाल आदिवासी टोला से मुख्य सड़क तक जोड़ने के लिए सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम खुरियाल थाना नं 573 के भीतर एक भू खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.12एकड़ (बारह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या 2348,2367,2368,2369 का अंश और जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

- उत्तर:- मौजा खुरियाल थाना नं 573 का सर्वे खेसरा नं 2367,2348 का अंश एवम् 2347,2346, 3329 पूर्ण एवम् 2373 बिहार सरकार रोड।
दक्षिण:- मौजा खुरियाल थाना नं 573 का सर्वे खेसरा नं 2348,2367,2368,2369 का अंश।
पुरब:- मौजा खुरियाल थाना नं 573 का सर्वे खेसरा नं 2367,2348 का अंश एवम् 3336 बिहार सरकार रोड।
पश्चिम:- मौजा खुरियाल थाना नं 573 का सर्वे खेसरा नं 2367,2348 का अंश एवम् 2370 पूर्ण और बिहार सरकार रोड खेसरा नं 2373 है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उनके निर्माण के लिए खोदना, हटाना, या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1-1984 की धारा 6 और अधिनियम 18-1885 की धारा 3 के खण्ड (1)के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कटिहार

अपर समाहर्ता
कटिहार


समाहर्ता
कटिहार

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या-14/डी0एल0ए0 कटार (संपर्क सड़क) खुरियाल-12/2011-^{1322/र}पटना-15, दि0-21⁰⁵/₁₃

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, कटिहार को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।